"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट्/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त 2006—श्रावण 20, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2006

क्रमांक ई-01-02/2006/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17-07-2006 के द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, भा. प्र. से. (2000), अपर कलेक्टर, रायपुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुन्द के पद पर पदस्थ किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2006

क्रमांक ई-1-16/2004/एक/2.—भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 13017/20/2005-एआईएस (I), दिनांक 6-7-2006 के द्वारा श्री अविनाश चम्पावत, भा. प्र. से. (RR : 2003), को भारतीय प्रशासनिक सेवा के नागालैंड राज्य संवर्ग से छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में स्थानांतरित (संवर्ग परिवर्तन) किया गया है. श्री अविनाश चम्पावत, भा. प्र. से. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुन्द के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2006

फा. क्र. 10352/1879/21-ब/छ. ग./06.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री शेखर राम, अधिवक्ता, जिला कोरबा को दिनांक 27-5-2005 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि के लिए कोरबा जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2006

क्रमांक 335/904/ऊर्जा/2006.—छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रभावशील हो जाने के बाद भी इस अधिनियम की धारा 172 (ए) तथा (सी) के प्रावधान के अनुसार 9 दिसम्बर, 2006 तक विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कार्यरत रहेगा. इस स्थिति के प्रकाश में राज्य शासन श्री मनोज डे, सेवानिवृत्त सदस्य (पारेषण एवं वितरण), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को 1 अगस्त, 2006 से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन अथवा 9 दिसम्बर, 2006 जो भी पहले हो, तक संविदा आधार पर सदस्य (पारेषण एवं वितरण) नियुक्त करता है. नियुक्ति अवधि में सेवा शर्तों के संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढॉंड, प्रमुख सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2006

क्रमांक-एफ 3-13/2006/38.—राज्य शासन डॉ. अशोक पारख, प्राचार्य, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर को निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में पूर्णकालिक सदस्य के पद पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करता है.

(1) यह पद पूर्णकालिक एवं वैतनिक होगा.

(2) पूर्णकालिक सदस्य को प्रथम श्रेणी अधिकारियों की तत्समय दिये जाने वाले पद से मकान भाड़ा भत्ता की पात्रता होगी. इसके साथ ही उनके कार्यालय एवं निवास पर एस. टी. डी. सुविधा सहित टेलीफोन की पात्रता होगी. अन्य विषयों पर उनकी सेवा शर्तें निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में उल्लेखित नियमों के अंतर्गत संचालित होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2006

क्रमांक-1587/704/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-910/704/32/2006 दिनांक 28-4-2006 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 'क' के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शंकरनगर खम्हारडीह	1185/1 "क"	0.607 हे.	आमोद-प्रमोद	आवासीय

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (उपांतरित) का अंगीकृत भाग होंगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2006

क्रमांक एफ 8-3/2006/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, कोरबा के बायलर क्रमांक-एम.पी./3799 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 26-7-2006 से 30-9-2006 तक की छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकरराव ब्राहम्णे, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

Raipur, the 25th July 2006

F. No. 1-14/2004/12.—In the Notification regarding Chhattisgarh Geology and Mining, Class I and II Service recruitment rule, 2005 published in the "Chhattisgarh Rajpatra", No. 2 Part-I the 13th January 2006. the following be read :—

CORRIGENDUM

1. Page No. 80 Schedule-II

1.1	Srl. No. 1 Col. (7)	For :	Deputation/Promotion
		Read :	In case of non availability of candidate for Promotion. post shall be filled by deputation from Indian Administrative Service Cadre.

1.2	Srl. No. 7 Col. 7	For :	Deputation
		Read :	Post shall be filled by deputation from Directorate of Treasury and Accounts.
1.3	Srl. No. 10 Col. 7	for :	Deputation
		Read :	Post shall be filled by deputation from State/Central Government Department/Corporation.
2.	Page No. 82 Schedule IV		
2.1	Srl. No. 2 Col. 2	For :	Joint Director (Geology)/Joint Director (Mineral Administration)/ Joint Director (laboratory)
		Read :	Joint Director (Geology)/Joint Director (Mineral Administration)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
M. K. TYAGI, Joint Secretary.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2006

क्रमांक/एफ-1-21/25-2/आजाकवि/2006.—आदिमजाति मंत्रणा परिषद् नियमावली, 1957 के उप नियम-3 एवं 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27-2-2004 द्वारा आदिमजाति मंत्रणा परिषद् का गठन किया गया था. उक्त आदेश को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नानुसार आदिमजाति मंत्रणा परिषद् का गठन करता है :—

1.	माननीय मुख्यमंत्री जी	अध्यक्ष
2.	मान. प्रभारी मंत्री जी, आ.जा. तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मान. श्री बलीराम कश्यप, सांसद, बस्तर	सदस्य
4.	मान. श्री विष्णुदेव साय, सांसद, रायगढ़	सदस्य
5.	मान. श्री सोहन पोटाई, सांसद, कांकेर	सदस्य
6.	श्रीमती प्रेमबाई मण्डावी, राजनांदगांव	सदस्य
7.	मान. श्री शिवप्रताप सिंह, विधायक, सुरजपुर (अनु. ज. जा.)	सदस्य
8.	मान. श्री रामविचार नेताम, विधायक, पाल (अनु. ज. जा.)	सदस्य
9.	मान. श्री सिद्धनाथ पैकरा, विधायक, सामरी (अनु. ज. जा.)	सदस्य
10.	मान. श्री कमलभान सिंह, विधायक, अंबिकापुर (अनु. ज. जा.)	सदस्य
11.	मान. श्री बैदूराम कश्यप, विधायक, केशलूर (अनु. ज. जा.)	सदस्य
12.	मान. श्री भरत साय, विधायक, तपकरा (अनु. ज. जा.)	सदस्य
13.	मान. श्री ओमप्रकाश राठिया, विधायक, धरमजयगढ़ (अनु. ज. जा.)	सदस्य

14.	मान. श्री सत्यानंद राठिया, विधायक, लैलुंगा (अनु. ज. जा.)	सदस्य
15.	मान. श्री ननकीराम कंवर, विधायक, रामपुर (अनु. ज. जा.)	सदस्य
16.	मान. सुश्री पिंकी ध्रुव, विधायक, सिहावा (अनु. ज. जा.)	सदस्य
17.	मान. श्री अघन सिंह ठाकुर, विधायक, कांकेर (अनु. ज. जा.)	सदस्य
18.	मान. श्री विक्रम उसेंडी, विधायक, नारायणपुर (अनु. ज. जा.)	सदस्य
19.	मान. श्री लच्छुराम कश्यप, विधायक, चित्रकोट (अनु. ज. जा.)	सदस्य
20.	मान. श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम, विधायक, डौण्डी लोहारा (अनु. ज. जा.)	सदस्य
21.	मान श्री संजीव शाह, विधायक, चौकी (अनु. ज. जा.)	सदस्य
22.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ. जा. तथा अनु. जा. विकास विभाग	सचिव

2. विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य रहेंगे, जब तक कि वे विधान सभा के सदस्य रहेंगे. अन्य सदस्य परिषद् में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद् के सदस्य रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. ठाकुर, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 25 जुलाई 2006

क्रमांक 7226/भू-अर्जन/07/अ/82/वर्ष 05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	श्यामतराई	0.18	सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, धमतरी.	नवीन मंडी प्रांगण के लिये पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शांतनु, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 19 जून 2006

रा. प्र. क्र./1/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	हर्रामार (कोटछाल)	3.992	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, अंबिकापुर.	ग्राम हर्रामार के कोटछाल जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 26 जुलाई 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	केराझर प. ह. नं. 1	37.787	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ-कच्चे माल एवं बाय प्रोडक्ट्स स्टाकयार्ड निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जुलाई 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	परसदा प. ह. नं. 2	16.693	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ-कच्चे माल एवं बाय प्रोडक्ट्स स्टाकयार्ड निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 जुलाई 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	डोंगाढकेल प. ह. नं. 1	9.150	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ-कच्चे माल एवं बाय प्रोडक्ट्स स्टाकयार्ड निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 7 जुलाई 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/105.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कोरबा प. ह. नं. 4	0.081	कार्यपालन यंत्री, हसदेव बॅराज जल प्रबंध संभाग, रामपुर/कोरबा.	बायीं तट नहर के अंतर्गत नहर निर्माण एवं बोल्डर पिचिंग.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सरहर प.ह.नं. 16	0.768	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	दर्री सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	दर्री प.ह.नं. 8	0.683	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	दर्री सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दियें गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	दर्री प.ह.नं. 8	0.309	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	दर्री सब माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सरहर प.ह.नं. 16	0.590	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	दर्री सब माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सरहर प.ह.नं. 16	0.570	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	सरहर सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बिछिया प.ह.नं. 3	0.040	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	आमापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	सिरली प.ह.नं. 02	0.080	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	गोरखापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	नवागढ़	अवरीद प.ह.नं. 03	0.049	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	अवरीद माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 जुलाई 2006

प्रकरण क्रमांक 23/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	जेवरा	13.34	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	फुटामुड़ा जलाशय निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2006

प्रकरण क्रमांक 20/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	मंजूरपहरी	64.25	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिटकुली कबीरधाम जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2006

प्रकरण क्रमांक 21/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	बिटकुली	0.15	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिटकुली कबीरधाम जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जुलाई 2006

प्रकरण क्रमांक 22/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	धौरामुड़ा	24.95	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	धौरामुड़ा जलाशय निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जुलाई 2006

क्रमांक 3/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	मानिकचौरी	2.14	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	सिरसा नाला जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जुलाई 2006

क्रमांक 4/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	भड़हा	76.36	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	सिरसा नाला जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 जुलाई 2006

क्रमांक 25/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	लुतरा	0.33	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	लीलागर नदी पुल पर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 19 जून 2006

रा. प्र. क्र./1/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-हर्रामार (कोटछाल)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.992 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
556/1	0.030
514/1	0.340
530	0.004
541/1	0.061
543/2	0.045
304/1	0.041
304/3	0.040
304/2	0.040
305	0.056
306	0.041
307	0.072
692	0.024
308	0.041
321	0.032
696	0.012
309	0.041
601	0.121
324	0.024
656	0.121
316	0.041
1158	0.081
1158	0.081
334	0.141
462	0.032
1155	0.101
1280	0.049
549	0.113
693	0.012
323	0.024
328	0.049
450	0.101
331	0.032
332	0.012
463	0.081
534	0.160
322	0.024
528/1	0.068
528/2	0.068
425	0.041
451/2	0.041
327/1	0.049
451/1	0.041
311/1	0.020
521	0.068
711/1	0.008
440/1	0.132
431	0.012
536	0.041
541/2	0.061
543/1	0.045
548	0.049
483	0.012
464	0.101
485	0.020
537	0.093
542	0.049
538	0.012
540	0.041
547	0.081
695	0.081
1026/2	0.180
1156	0.101

(1)	(2)
557	0.049
527	0.101
योग	3.992

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम हर्रामार के कोटछाल जलाशय के माइनर एवं केनाल.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 26 जुलाई 2006

क्रमांक/759/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हाटकोंदल/बरगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-ग्राम हाटकोंदल-5.183 हे., ग्राम बरगांव-0.19 हे.=5.373 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम- हाटकोंदल	
497	0.12
514	0.07
612	0.05
332	0.12
680/2	0.04
671/4	0.16
508/1	0.06
581	0.02
671/3	0.04
671/2	0.05
671/6	0.03
671/1	0.09
671/7	0.04
574	0.01
336	0.10
513	0.05
509	0.03
580/2	0.08
321	0.08
712/2	0.07
228/2	0.04
611	0.06
573	0.07
722/1	0.08
124	0.17
135	0.16
506	0.03
679	0.02
137	0.05
521	0.02
334	0.12
716	0.07
710	0.10
707	0.15
714	0.05
518/2	0.05
537	0.04
130	0.03
315	0.03
213	0.04
518/1	0.12
333	0.02
548	0.13
718	0.15

	(1)	(2)
	519	0.02
	320	0.04
	316	0.27
	507	0.10
	345	0.11
	579	0.13
	149	0.05
	214	0.14
	208	0.03
	127	0.06
	192/2	0.04
	212	0.03
	209	0.03
	207	0.04
	131	0.06
	319	0.02
	535	0.03
	520/1	0.01
	522/4	0.05
	522/3	0.06
	709	0.06
	683	0.11
	681	0.07
	670	0.18
	144	0.04
	133	0.03
	338	0.16
	534	0.02
	578	0.12
योग	73	5.183

ग्राम-बरगांव

(1)	(2)
221	0.03
216	0.04
215	0.03
214	0.03

	(1)	(2)
	213	0.06
योग	5	0.19
महायोग	78	5.373

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा), भानुप्रतापपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 26 जुलाई 2006

क्रमांक/770/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
(ग) नगर/ग्राम-चौंगेल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.74 हेक्टयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	205	0.35
	205	0.06
	205	0.29
	205	0.04
योग	4	0.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा), भानुप्रतापपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-पासीद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.82 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1093	0.54
1089/1, 2, 3 क, 1090/3	0.59
1090/1, 2	0.21
1047/1, 1048/1, 1049/1	0.48
योग 4	1.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलासपुर पासीद मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

क्रमांक 11/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मुरू, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
411/25	0.05
योग	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मनियारी सेतु सकरी भवर बिरकानी मार्ग के पहुंच मार्ग.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 24 जुलाई 2006

क्रमांक/प्र.-1/585/06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-गाड़ाभाठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.08 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
249/1	0.10
250	0.48
251	0.01
334	0.28
367	0.20
610/2	0.28
252	0.14
253	0.14
255/1	0.16
257	0.16
256	0.04
529	0.34
715/4	0.08
258	0.16
558/2	0.10
372/2	0.18
559	0.10
260	0.08
261/2	0.08
262/1-2	0.10
295	0.06
310	0.22
364	0.02
299	0.34
335	0.04
368	0.02
363/2	0.10
539/2	0.30
539/1	0.30
365	0.08
609	0.56
366	0.08
792/4	0.04
357	0.15
357/1	0.12
548/1	0.24
548/2	0.24
548/6	0.22
554	0.35
552	0.14
549/9	0.18
528	0.04
358	0.03
योग 43	7.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मोहतरा से देऊरगांव.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, माजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 जुलाई 2006

प्र. क्र. 10-अ/82 सन् 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-कुकदा, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.687 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
23/1	8.687
योग	8.687

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-छ. ग. गृह निर्माण मण्डल को आवास योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 22 जुलाई 2006

प्रकरण क्रमांक 27 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम-भनसुला, प. ह. नं. 45

(घ) लगभग क्षेत्रफल-79.864 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10	15.409
13/6, 14/2	2.331
97/1 ज/1	0.077
13/2, 14/1	2.508
40/2	0.040
63/1, 63/2	0.891
77/2, 78/2	1.375
78/1	1.092
62	0.729
82/3	0.081
8/1	0.672
15/1	4.047
83/3, 113/2, 115/3, 117/2	1.776
129	0.093
131	0.81
133	0.445
142/1	0.004
24/1	0.842
96	0.180
98	0.142
100	0.543
54	1.643
8/2	3.509
83/1, 113/1, 115/1, 116/1, 117/1	3.297
39/2	0.660
142/3	1.740
83/2, 115/2	1.688
116/4	0.081
120/2	0.559
125/2	0.235
116/3	1.619
1/3, 13/1, 13/4	0.660
5/2	2.023
5/3	1.456
7/1	0.405
38	0.214
16	0.040
41/3, 48, 49, 53 ख	2.023
41/3, 48, 49, 53 ग	1.214
55	0.656
77/3	0.809
15/2	2.868
120/5, 123/2, 126/5, 127/2, 128/2, 130/2, 137/2, 138/2, 139/2, 140/2, 141/6	3.905
120/4, 123/4, 126/4, 127/4, 128/4, 130/4, 137/4, 138/4, 139/4, 140/4, 141/5	3.905
125/1	0.190

(1)	(2)
126/2	0.421
141/2, 141/3	0.730
141/7	2.023
141/8	2.023
142/2	1.684
52/1	1.761
52/2	1.761
77/3	0.405
7/2	0.210
11	0.089
योग 55	79.864

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना के अन्तर्गत डूबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 22 जुलाई 2006

प्रकरण क्रमांक 28 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 45
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.361 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13/9	0.206
13/22	0.340
13/7	0.040
13/14	0.081
13/15	0.121
13/17	0.040
46	0.081
13/28	0.040
13/29	0.133
13/30	0.405
13/31	0.202
13/6	1.319
13/10	0.906
36	2.416
49	1.449
50	0.946
51/1	1.740
51/2	0.809
45/1	0.480
56/2	0.607
योग 20	12.361

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुतियापाट परियोजना के अन्तर्गत डूबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

महासमुन्द, दिनांक 21 जुलाई 2006

क्रमांक/391/मं. स. ग./2006.—छत्तीसगढ़ कृषि मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) के अंतर्गत महासमुन्द जिले में स्थित कृषि उपज मण्डी समिति महासमुन्द के लिए निम्नानुसार सदस्य का नाम-निर्दिष्ट किया जाता है.

क्रमांक (1)	सदस्य का नाम व पता (2)	विभाग जिसका प्रतिनिधित्व करेगा (3)	नियम 72 के धारा 11 (1) के अंतर्गत सदस्य निर्दिष्ट किए गए (4)
1.	उप संचालक (कृषि) महासमुन्द	कृषि विभाग	11 (1) खण्ड (च)
2.	श्री नेमूसिंह चौहान व. गिरधारी चौहान, ग्राम-बेलसोंडा, पो.-बेलसोंडा, जिला-महासमुन्द.	तुलैया/हमाल	11 (1) खण्ड (छ)
3.	श्री ललित चन्द्रनाहू, स्टेशन रोड, महासमुन्द जिला-महासमुन्द.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	11 (1) खण्ड (ज)
4.	श्री मोती साहू, ग्राम-कांपा, पोष्ट-बिरकोनी, जिला-महासमुन्द.	जिला पंचायत	11 (1) खण्ड (ञ)

महासमुन्द, दिनांक 21 जुलाई 2006

क्रमांक/393/मं. स. ग./2006.—छत्तीसगढ़ कृषि मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) के अंतर्गत महासमुन्द जिले में स्थित कृषि उपज मण्डी समिति बागबाहरा के लिए निम्नानुसार सदस्य का नाम-निर्दिष्ट किया जाता है.

क्रमांक (1)	सदस्य का नाम व पता (2)	विभाग जिसका प्रतिनिधित्व करेगा (3)	नियम 72 के धारा 11 (1) के अंतर्गत सदस्य निर्दिष्ट किए गए (4)
1.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बागबाहरा	कृषि विभाग	11 (1) खण्ड (च)
2.	श्री हरउराम आ. बाबाराम निषाद, मुकाम-दादरगांव, पोष्ट-सिरींपठारीमुड़ा, जिला-महासमुन्द.	तुलैया/हमाल	11 (1) खण्ड (छ)
3.	श्री धरमदास साहू, ग्राम-छिन्दौली, पोष्ट-बावनकेरा, जिला-महासमुन्द.	जिला पंचायत	11 (1) खण्ड (ञ)

महासमुन्द, दिनांक 21 जुलाई 2006

क्रमांक/395/मं. स. ग./2006.—छत्तीसगढ़ कृषि मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) के अंतर्गत महासमुन्द जिले में स्थित कृषि उपज मण्डी समिति पिथौरा के लिए निम्नानुसार सदस्य का नाम-निर्दिष्ट किया जाता है.

क्रमांक	सदस्य का नाम व पता	विभाग जिसका प्रतिनिधित्व करेगा	नियम 72 के धारा 11 (1) के अंतर्गत सदस्य निर्दिष्ट किए गए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, पिथौरा	कृषि विभाग	11 (1) खण्ड (च)
2.	श्री सरजूराम/रतन रावत, ग्राम-पिथौरा, जिला-महासमुन्द.	तुलैया/हमाल	11 (1) खण्ड (छ)
3.	श्री प्रेमलाल चौधरी, ग्राम-ब्रम्हणपुरी, पो. पिरदा, जिला-महासमुन्द.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	11 (1) खण्ड (ज)
4.	श्री जवाहर दीवान, ग्राम-अरण्ड, पो.-बरेकेलखुर्द, जिला-महासमुन्द.	जिला पंचायत	11 (1) खण्ड (ञ)

महासमुन्द, दिनांक 21 जुलाई 2006

क्रमांक/397/मं. स. ग./2006.—छत्तीसगढ़ कृषि मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) के अंतर्गत महासमुन्द जिले में स्थित कृषि उपज मण्डी समिति बसना के लिए निम्नानुसार सदस्य का नाम-निर्दिष्ट किया जाता है.

क्रमांक	सदस्य का नाम व पता	विभाग जिसका प्रतिनिधित्व करेगा	नियम 72 के धारा 11 (1) के अंतर्गत सदस्य निर्दिष्ट किए गए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, बसना	कृषि विभाग	11 (1) खण्ड (च)
2.	श्री नित्यानंद व. कुमर भोई, ग्राम, पो.-रसोड़ा बसना, जिला-महासमुन्द.	तुलैया/हमाल	11 (1) खण्ड (छ)
3.	श्री यशवंत बरिहा, ग्राम-बिजराभाठा, पोष्ट-बिछिया, जिला-महासमुन्द.	जिला पंचायत	11 (1) खण्ड (ञ)

महासमुन्द, दिनांक 21 जुलाई 2006

क्रमांक/399/मं. स. ग./2006.—छत्तीसगढ़ कृषि मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) के अंतर्गत महासमुन्द जिले में स्थित कृषि उपज मण्डी समिति सरायपाली के लिए निम्नानुसार सदस्य का नाम-नर्दिष्ट किया जाता है.

क्रमांक (1)	सदस्य का नाम व पता (2)	विभाग जिसका प्रतिनिधित्व करेगा (3)	नियम 72 के धारा 11 (1) के अंतर्गत सदस्य निर्दिष्ट किए गए (4)
1.	अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) सरायपाली	कृषि विभाग	11 (1) खण्ड (च)
2.	श्री बिसो आत्मज धरम, ग्राम-बालसी, सरायपाली, जिला-महासमुन्द.	तुलैया/हमाल	11 (1) खण्ड (छ)
3.	श्री पीताम्बर पटेल, ग्राम-बोंदा, सरायपाली जिला-महासमुन्द.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	11 (1) खण्ड (ज)
4.	श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, ग्राम-हर्राटार, सरायपाली, जिला-महासमुन्द.	जिला पंचायत	11 (1) खण्ड (ञ)

एस. के. तिवारी,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 19th July 2006

No. 425/Confdl./2006/II-3-14/2000.—On the request of Ms. Mamta Bhojwani, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class II, Raigarh, she is, hereby, permitted to change her name to "Smt. Mamta Shukla". It is directed that necessary changes be affected in all her records.

Bilaspur, the 25th July 2006

No. 228/Confdl./2006/II-3-14/2000.—On the request of Ku. Satyabhama Jaiswal, VI Civil Judge Class I and Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur, she is, hereby, permitted to change her name to "Smt. Satyabhama Ajay Dubey". It is directed that necessary changes be affected in all her records.

By order of the High Court.
R. K. BEHAR, Registrar General.